न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपील/एलआर /6835/2006/करौली

शिवसिंह पुत्र काशीराम जाति गुर्जर निवासी कोरीपुरा तहसील व जिला करौली।

—अपीलांट

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मासलपुर जिला करौली।
2— सन्तूलाल पुत्र सोनाराम जाति मीणा निवासी कोरीपुरा तहसील व जिला करौली।

—रेस्पोडेण्ट्स

एकलपीठ
डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः—
1. श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शिशिर विजयवर्गीय, उप राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांक— 19—8—2025

हस्तगत अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत् राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा अपील संख्या 6/2006 में पारित निर्णय दिनांक 4—9—2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, मासलपुर द्वारा जिला कलेक्टर, करौली के समक्ष राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 (7) के तहत् रिपोर्ट प्रस्तुत कर आराजी खसरा नंबर 255 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम केशपुरा पर अपीलांट द्वारा अवैध खनन करके पत्थर की कुल 9900 घनफुट फर्रशिया निकाली गई, जिसकी कीमत करीबन 250 प्रति घनफीट की दर से 24,75,000/— रूपये होती है। तहसीलदार, मासलपुर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलांट द्वारा किये गये अवैध खनन की कीमत मय पेनल्टी कायम किये जाने का निवेदन किया गया। जिला कलेक्टर, करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 12—12—2005 द्वारा अपीलांट द्वारा अवैध खनन किये जाने के फलस्वरूप 673.4693 टन माल पर

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 (7) के तहत् 50/– रूपये प्रति टन के हिसाब से कुल 33673/– रूपये पेनल्टी से दण्डित किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। जिला कलेक्टर, करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–12–2005 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 4–9–2006 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–2006 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– अपीलांट्स के विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि विवादित आराजी रेस्पोडेंट संख्या 2 सन्तूलाल की खातेदारी की आराजी है, जिस पर अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है और न ही विवादित आराजी पर अवैध खनन कार्य किये जाने बाबत् अपीलांट का कोई संबंध सिद्ध होता है। विवादित आराजी के खातेदार सन्तूलाल द्वारा भी अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत जिला कलेक्टर के समक्ष अवैध खनन कार्य किये जाने हेतु नहीं की गई है। तहसीलदार, मासलपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा उक्त आराजी पर खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। वरन् अन्य व्यक्तियों द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है, जिनके विरूद्ध खातेदार रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–2006 निरस्त किया जावे।

5– इसके विपरीत उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि वादग्रस्त खसरा नंबर 255 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा पर शिवसिंह द्वारा बिना अनुमति लिये अवैध रूप से खनन कार्य किया है और 9900 घनफीट पत्थर निकाला है। अतः इस प्रकार से इन्होंने अवैध रूप से खनन कार्य किया है और धारा 89 (7) के तहत् अपीलांट के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा सही प्रकार से प्रकरण बनाया है एवं जिला कलेक्टर, करौली द्वारा भी विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया और पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

7– हस्तगत प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 89(7) से संबंधित है, जिसका अवलोकन करना हम उचित समझते हैं जो कि इस प्रकार है–

89. Right of minerals, mines, quarries and fisheries –The right to all minerals, mines and quarries and to all fisheries, navigation and irrigation in and from, a river shall vest in the State Government and the State Government shall, 65[xxx] have all powers necessary for the enjoyment of such a right.

(7) Any person who without lawful authority extracts or removes minerals from any mine or quarry, the right to which vests in and has not been assigned by the State Government, shall without prejudice to any other section that may be taken against his liable, on the order in writing of the Collector to pay a penalty not exceeding a sum calculated at the rate of fifty rupees per ton, or a fraction thereof, of the minerals so extracted or removed: Provided that if the sum so calculated is less than one thousand rupees, the penalty may be such larger sum not exceeding on thousand rupes as the Collector may impose

नायब तहसीलदार, मॉसलपुर द्वारा एक प्रार्थना–पत्र उक्त धारा के तहत जिला कलेक्टर, करौली के समक्ष प्रस्तुत कर ग्राम केशपुरा सब तहसील मासलपुर तहसील करौली में स्थित खसरा नंबर 255 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा पर अवैध खनन कार्य किए जाने के कारण पैनल्टी कायम करने हेतु प्रस्तुत किया । उक्त प्रार्थना–पत्र पर मौका जांच पटवारी द्वारा किए जाने पर दिनांक 13–12–2003 को यह अंकित किया कि आराजी खसरा नंबर 255 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा किस्म बंजड संतुलाल पुत्र सोना जाति मीना निवासी रघुपुरा तहसील करौली की खातेदारी में दर्ज है । उक्त पर अवैध खनन कार्य शिवसिंह पुत्र कासीराम द्वारा किया जा रहा है, जिसकी कीमत 24,75,000 रूपये है ।

उक्त प्रार्थना–पत्र के जबाव में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा यह कथन किया कि उक्त खसरा नंबर पर कोई खनन कार्य नहीं किया । नायब तहसीलदार ने बिना मौके की जांच किए कार्यवाही की है, जो निरस्त की जावे ।

उक्त प्रार्थना–पत्र के जबाव में अपीलाण्ट द्वारा यह कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार की है । खातेदार सन्तुराम द्वारा कोई शिकायत नहीं की है और धारा 89 भू राजस्व अधिनियम के तहत खातेदार सन्तराम द्वारा कोई आवेदन नहीं किया है न ही कोई विधिसम्मत कार्यवाही धारा 89 के तहत की गई है। प्रार्थी के विरूद्ध धारा 89(7) के तहत कार्यवाही चलने योग्य नहीं है जबकि धारा 90–ए में स्पष्ट प्रावधान है कि पूर्व खातेदार भूमि को कृषि भूमि से भिन्न प्रयोग में लेता है, तब धारा 90–ए के तहत कार्यवाही की जाती है। परन्तु तहसीलदार द्वारा

धारा 90–ए के तहत प्रार्थना–पत्र नहीं दिया जाकर धारा 89(7) के तहत दिया गया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः उक्त धारा के तहत की गई कार्यवाही निरस्त की जावे ।

जिला कलेक्टर द्वारा निर्णय दिनांक 12–12–2005 से भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89(7) के तहत पैनल्टी से दण्डित किया । पत्रावली पर उपलब्ध रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा अपने जबाव में स्वयं यह कथन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 8–12–2003 को एक प्रार्थना–पत्र जिला कलेक्टर, करौली के समक्ष अवैध खनन कार्य रोकने हेतु प्रस्तुत किया व एक प्रार्थना–पत्र पुलिस अधीक्षक करौली को भी अवैध खान कार्य करने बाबत व मारपीट करने बाबत प्रस्तुत किया तथा एक दावा भी सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर स्थगन आदेश पारित किया हुआ है । इसके बाद रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 20–8–2003 को उक्त आराजी में से 4 बीघा जमीन अपीलाण्ट को बेच दी । उक्त कथनों के बावजूद उसके द्वारा तहसीलदार का प्रार्थना–पत्र खारिज करने की प्रार्थना की, जो उचित नहीं है । विचारण न्यायालय ने विधिसम्मत तरीके से अवैध खनन करने के कारण पैनल्टी से दण्डित किया है, जो विधिसम्मत है । उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को भी अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज किया है उन्होंने भी अपने निर्णय में यही माना है कि बिना किसी प्रकार की अनुमति लिए व नियम विरूद्ध खनन कार्य करने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89(7) में यह प्रावधान है कि अवैध खनन की गई आराजी पर 50 रूपये प्रति टन की दर से शास्ति आरोपित करने का अधिकार जिला कलेक्टर को रहेगा एवं इसी आधार पर विचारण न्यायालय के निर्णय को विधिसम्मत मानकर अपील खारिज की है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित हैं। हमारी राय में इन निर्णयों में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है न ही विधि का कोई प्रश्न ही अन्तर्वलित है, जिससे कि द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसे विधिसम्मत आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके। **जैसा कि आर.बी.जे. 2018 पृष्ठ 215 उनवानी श्री चारभुजा जी बनाम हीरादास पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि–**

''जब अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है, तब द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। जो अभिवाक् प्रारंभिक स्तर पर नहीं उठाया उसे द्वितीय अपील के स्तर पर नहीं उठाया जा सकता''। आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर

माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं0 1231/1998 उनवानी गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –

"Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue."

इस संबंध में AIR 2008 SC 380 Boodireddy Chandraiah and Ors. versus Arigela Laxmi and Ors. के पैरा संख्या 13 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं–

"13, The general rule is that High Court will not interfere with concurrent findings of the Courts below ."

अतः उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक के फलस्वरूप यह द्वितीय अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है ।

8– उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है। अन्य कोई प्रार्थना–पत्र, यदि लम्बित हों, तो तद्नुसार निर्णित किए जाते हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)

सदस्य